फर्द अहकाम

मुरलीधर बनाम राज्य सरकार व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 70/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/7/22	प्रसाद ... आफीसर ... अग्रिम ... दिनांक 17/8/22 को पेश हो।
	17/8/22	प. क्र. उपखण्ड तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली में अधिकृत उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई, पत्रावली, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया वादी का वाद स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो ह० [illegible] उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

न. 76 / 2020

उनवान

1. मुरलीधर कुमावत पुत्र श्री छीतर, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. घीसाराम उर्फ घांसीराम पुत्र श्री छीतर, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. तेजाराम पुत्र श्री छीतर, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. रामस्वरूप पुत्र श्री छीतर, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. कैलाश चन्द पुत्र श्री चौथमल, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. शिम्भूदयाल पुत्र श्री चौथमल, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. हनुमान सहाय पुत्र श्री चौथमल, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 29, पक्का बन्धा, सामोद रोड़, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती</u>

निर्णय दिनांक 17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम चौमूँ, पटवार हल्का चौमूँ–बी, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान में आराजी काश्त भूमि खाता संख्या पुराना 228 जिसके हाल खाता संख्या 250 खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3434 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3436 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3439 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3440 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3441 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3442 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3443 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3444 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3445 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा [illegible]446 रकबा 0.60 हैक्टेयर, कुल किता 15 का कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर स्थित है उक्त आराजी काश्त भूमि में वादी का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के साथ संयुक्त [illegible] हिस्सा बतौर खातेदार काबिज काश्तकार निहित करता है जिस पर वादी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के साथ बतौर खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप सें काबिज हो[illegible] काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी काश्त भूमि ही वाद हाजा में वादग्रस्त आराजी काश्त भूमि है। जिसें वाद पत्र के अग्रिम मदों में वादग्रस्त आराजी काश्त भूमि के नाम सें सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी काश्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 7 की आराजी काश्त भूमि रही है का पर्चा लगान कायम किये जाते समय वादी के नाबालिग होने के कारण वादी के वास्तविक नाम मुरलीधर पुत्र छीतर के बजाय मूलचन्द पुत्र छीतर अंकित करवा दिया गया अथवा कर दिया गया। जबकि वादी के पिता छीतर के मूलचन्द नाम का कतई कोई पुत्र नहीं रहा है तथा वादी ही उक्त आराजी काश्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के साथ संयुक्त रूप से अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला रहा है तथा वर्तमान में भी वादी अपने हक हिस्से का बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग कर रहा है।

वादी को रूपयों की आवश्यकता होने पर वादी ने अपनी आराजी काश्त भूमि पर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति के लिए कहा तो पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम उसकी खातेदारी भूमि में मूरलीधर पुत्र छीतर के बजाय मूलचन्द पुत्र छीतर अंकित होना बताया। जिस पर वादी द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में त्रुटिवश नाम के गलत हुये इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 17.09.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष चाराजोरी करने हेतु कहा, उक्त कारणवश वादी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद हाजा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

पर्चा लगान कायम किये जाते समय वादी के नाबालिग होने के कारण वादी के वास्तविक नाम मुरलीधर पुत्र छीतर के स्थान पर मूलचन्द पुत्र छीतर सहवन सें अंकित हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मूलचन्द नहीं होकर मुरलीधर रहा है उक्त कारणवश राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी में हुये त्रुटिवश इन्द्राज मूलचन्द पुत्र छीतर के स्थान पर मुरलीधर पुत्र छीतर किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर वाद पत्र में उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी काश्त भूमि खाता संख्या पुराना 228 जिसके हाल खाता संख्या 250 खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3434 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3436 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3439 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3440 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3441 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3442 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3443 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3444 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3445 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3446 रकबा 0.60 हैक्टेयर, कुल किता 15 का कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर की 1/8वें हक हिस्सें का मूलचन्द पुत्र छीतर के बजाय वादी के वास्तविक नाम मुरलीधर पुत्र छीतर के बतौर खातेदार काबिज काश्तकार होने की घोषणा की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के भूमि ख0न0 3432 से 3446 कुल किता 15 में मूलचन्द पुत्र छीतर हिस्सा 1/8 जाति कुमावत दर्ज रिकार्ड है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज व पटवारी फर्दमौका के मुताबिक मूलचन्द व मुरलीधर दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है तथा दस्तावेजों में उक्त व्यक्ति का नाम मुरलीधर है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट, जवाब का अवलोकन गया। जिससे वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का कानूनन कार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद पत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्थी का स्वीकार किया जाता तथा वाके ग्राम चौमूँ, पटवार हल्का चौमूँ–बी, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र चौमूँ, तहसील मूँ, जिला जयपुर, राजस्थान के खाता संख्या पुराना 228 जिसके हाल खाता संख्या 250 सरा नम्बर 3432 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा म्बर 3434 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3439 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3440 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3441 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3442 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3443 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3444 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3445 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3446 रकबा 0.60 हैक्टेयर, कुल किता 15 का कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर के 1/8वें हक हिस्सें का मूलचन्द पुत्र छीतर के बजाय वादी के वास्तविक नाम मुरलीधर पुत्र छीतर के बतौर खातेदार काबिज काश्तकार होने की घोषणा की जाती है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:28:32 IST
Reason: SelfAttested